


### आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा की बरनाला मार्ग पर साईज 9'X 16' तथा 6'X 9' बरामदा साईज की दुकान नं0 30 लाईसैंस फीस के लिए खाली है, जिसकी बोली दिनांक 01-06-2018 को 10.00 बजे बाल भवन सिरसा मे 3 वर्ष के लिए पट्टे पर देने हेतु की जाएगी। बोलीदाता जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा के नाम से मु0 25000/-पच्चीस हजार रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि के रूप मे बोली होने से पूर्व कार्यालय मे जमा करवाकर बोली दे सकता है। दुकान की लाईसैंस फीस मु0 8000/-रुपये मासिक आठ हजार रुपये मात्र होगी। बोली न्यूनतम सिक्योरिटी मु0 200000/-रुपये से शुरू की जायेगी। अधिकतम सिक्योरिटी की बोली देने वाले को दुकान का कब्जा देने का अन्तिम निर्णय उपायुक्त एवं प्रधान, जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा का होगा। बोली के पूर्ण नियम व शर्तें जिला प्रशासन की वैबसाइट [www.sirsa.govt.co.in](http://www.sirsa.govt.co.in) पर देखी जा सकती है।



जिला बाल कल्याण अधिकारी,  
जिला बाल कल्याण परिषद,  
सिरसा।

23/5/18

## दुकान नं 30 की बोली के नियम व शर्तें

- 1 बोलीदाताओ को बोली आरम्भ करने से पहले जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा के नाम से मु0 25,000/-रूपये का बैंक ड्राफ्ट धरोहर केरूप मे इस कार्यालय मे जमा करवाने होंगे बोली दिनांक 01-06-2018 को 10 बजे बाल भवन मे होगी।
- 2 दुकान की मासिक लाइसेंस फीस मु0 रु0 8000/-आठ हजार रूपये होगी।
- 3 बोली सबसे अधिक रिफण्डेबल सिक्योरिटी देने वाले के नाम छोडी जावेगी। सिक्योरिटी की न्यूनतम बोली मु0 200000/-रूपये से शुरू की जावेगी। सम्बन्धित दुकान अधिकतम रिफण्डेबल सिक्योरिटी की बोली देने वाले को दी जावेगी।
- 4 सफल बोलीदाता द्वारा रिफण्डेबल सिक्योरिटी के बोली की 25 प्रतिशत राशि मौके पर जमा करवाई जावेगी तथा शेष राशि 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। निश्चित अवधि मे राशि जमा करवाने मे असफल होने पर बोलीदाता द्वारा कार्यालय मे धरोहर राशि के रूप मे जमा करवाई गई राशि मु0 25000/-रूपये जब्त कर ली जाएगी।
- 5 बोलीदाता द्वारा दी गई बोली का अन्तिम निर्णय माननीय उपायुक्त एवं प्रधान जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा को स्वीकृति उपरांत ही मान्य होगा। दुकान का कब्जा देने की तिथि से किराया शुरू होगा।
- 6 सफल बोलीदाता को दुकान का कब्जा लेने से पहले एक लाइसेंस डीड सम्पन्न करनी होगी। जिसका समस्त हर्जा-खर्चा बोलीदाता को वहन करना होगा।
- 7 जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा को बिना कोई कारण बताए बोली की तिथि, समय व स्थान बदलने व रद्द करने का अधिकार होगा।
- 8 किसी भी प्रकार के विवाद मे उपायुक्त एवं प्रधान जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 9 दुकान की लाइसेंस डीड की अवधि 3 वर्ष की होगी।
- 10 सफल बोलीदाता को दुकान की मासिक फीस प्रत्येक माह की सात तारीख तक स्वयं जमा करवानी होगी। देरी की सूरत मे मु0 10/-रूपये प्रतिदिन के हिसाब अतिरिक्त फीस अदा करनी होगी।
- 11 सफल बोलीदाता को दुकान सहमति पत्र लाइसेंस डीड पर लेने से पूर्व अपने स्थाई रिहायशी प्रमाण-पत्र के सबूत के कागजात कार्यालय मे जमा करवाने अनिवार्य होंगे
- 12 सफल बोलीदाता को अपनी दुकान किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को सबलैट करने का अधिकार नहीं होगा।

- 13 सफल बोलीदाता को दुकान मे अपने स्तर पर कोई तोड-फोड, बदलाव, निर्माण व अनैतिक कार्य/व्यापार करने का अधिकार नही होगा।
- 14 सफल बोलीदाता बिजली का कनेक्शन अपने स्तर पर अपने नाम से लेकर बिल का स्वयं भुगतान करेगा।
- 15 सफल बोलीदाता को सहमति/अनुमति पत्र लाईसैंस डीड की अवधि तीन वर्ष की समाप्ति होने के पश्चात दुकान को सही हालत मे जिला बाल कल्याण परिषद को सुपुर्द करवायेगा।
- 16 सफल बोलीदाता को भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार के सभी टैक्स तथा सभी बिलो का भुगतान स्वयं करना अनिवार्य होगा।
- 17 सफल बोलीदाता को केवल दुकान के ग्रंउड फ्लोर पर प्रयोग करने का अधिकार होगा। दुकान की छत को इस्तेमाल करने का कोई हक नही होगा। जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा दुकान की छत पर प्रथम मंजिल के निर्माण कार्य करने मे स्वतंत्र होगी। इस पर दुकानदार को कोई आपत्ति नही होगी।
- 18 बोली के दौरान कोई भी बोलीदाता नकद राशि 25000/-पच्चीस हजार रूपये धरोहर के रूप मे देकर बोली दे सकता है।
- 19 अगर सफल बोलीदाता सिक्योरिटी राशि जमा करवाने में असमर्थ रहता है तो दूसरे नम्बर पर बोली देने वाले को दुकान लाईसैंस फीस पर दी जावेगी।



Chief, Child Welfare Comm.  
TBSA